न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 7 / 2018
अनवान :–

1. कालुराम पुत्र गंगाराम जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. भूपसिह पुत्र रामलाल जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. लिछमण पुत्र लुणाराम जाति मेधवाल निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।

प्रार्थीगण

बनाम्

1. भूपसिह पुत्र मधाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र मधाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. सुलतान पुत्र मधाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. शान्ति पुत्री मधाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. रामदेई पुत्री मधाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. धापी पुत्री मधाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. चन्द्रकला पुत्री मधाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. सुरसती पुत्री मधाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
   असल गैरसायलान
9. सरबती पत्नी गंगाराम जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
10. श्रीचन्द पुत्र गंगाराम जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
11. गोरखाराम पुत्र गंगाराम जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
12. चिडियादेवी पुत्र गंगाराम जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
13. विधा पुत्री गंगाराम जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
14. रूकमा पत्नी गंगाराम जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
15. गीता पुत्री रामलाल जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
16. भूरी पुत्री रामलाल जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
17. रणजीत पुत्र रामलाल जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
18. दोलतराम पुत्र रामलाल जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
19. सतवीर पुत्र रामलाल जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
20. जगदीश पुत्र तुलछा जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
21. भीम पुत्र तुलछा जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
22. गुडडी पुत्री तुलछा निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी
23. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, सायलान
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक : 06/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की सायलान व तरतीबी गैरसायलान की मुश्त[illegible] मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 153 / 141 के प0न0 320 / 382(43) [illegible] न0 9 ता 12 व 19 ,20 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 1.518हैक भूमि [illegible] दार काश्तकार दर्ज है।रोही मौजा चक 13 केएनएएन मे सायल संख्या 3 के नाम 1.4340हैक भूमि द[illegible]

रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 86 / 83 की कुल 10.4820हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 8 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायलान एव तरतीबी गैरसायलान को अपने खाता संख्या 153 / 141 में आवागमन करने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायलान एवं तरतीबी गैरसायलान अपनी भूमि में आवागमन करने के लिये गेरसायल संख्या 1 ता 8 के खेत के प0न0 320 / 382(43) के किला न0 6 ,7 ,8 से होते हुए प0न0 320 / 382(43) के किला न0 9 जो गैरसायल संख्या 3 के खेत मे पहुच जाते है।

रोही मौजा चक 13 केएनएन के प0न0 320 / 382(43) के किला न0 6 ,7 गैरसायल संख्या 1 ता 8 का है तथा किला न0 8 सायल न0 3 का है

सायलान एवं तरतीबी गैरसायलान को अपने खेत में जाने के लिए गैरसायलान के प0न0 320 / 382(43) के किला न0 6, 7 ,8 में से होकर जाते है इसके अलावा इनके खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नही है यह सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है।

उक्त रास्ता काफी सालों से चालू है किन्तु राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण गैरसायलान हमेशा रास्ता बन्द करने की घमकिया दे रहा है यदि गेरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायलान अपने खेत में बनी ढाणी में प्रवेश करने से बचित हो जावेगे इसलिये सायलान चालू रास्ता में बाधा उत्पन्न ना करने हेतु गेरसायलान को पाबन्द करवाने का भी अधिकारी है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 13 केएनएन के प0न0 320 / 382(43) के किला न0 6 ,7 ,8 की उतर दिशा मे पूर्व से पश्चिम एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया तरतीबी गैरसायलान का अनुतोष सायलान में निहित होने के कारण तलबी की आवश्यकता नही गेरसायलान संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की सायलान का सबसे नजदीक का रास्ता अन्य भूम मे से है उतरादाता के खेत में से कोई नजदीक का रास्ता नही है उतरदाता के खेत में रास्ता मन्जुर होने से उसके खेत के टुकडे हो जाते है जिससे भूमि काबिल काश्त नही रहेगी तथा कभी भी सायलान ने गेरसायलान की भूमि में से आवागमन नही किया गया है मात्र परेशान करने नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे

गैरसायलान का जबाब शामिल मिलस किया गया तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान को अपनी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृतशुद्वा रास्ता नही है सायलान गैरसायलान की भूमि के किला न0 6 ,7 ,8 में से होकर हमेशा से आवागमन करते आ रहे है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक है जिसे राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाकर दर्ज करवाना चाहते है सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गेरसायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान का सबसे नजदीक का रास्ता अन्य भूम मे से है उतरादाता के खेत में से कोई नजदीक का रास्ता नही है उतरदाता के खेत में रास्ता मन्जुर होने से उसके खेत के टुकडे हो जाते है जिससे भूमि काबिल काश्त नही रहेगी तथा कभी भी सायलान ने गेरसायलान की भूमि में से आवागमन नही किया गया है मात्र परेशान करने नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्र [illegible] अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रोही [illegible] खाता संख्या 153 / 141 के प0न0 320 / 382(43) के किला न0 [illegible] प्रत्येक 0.2530हैक कुल 1.518हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार [illegible] है।रोही मौजा चक 13 केएनएएन मे सायल संख्या 3 के नाम 1.4340हैक भूमि दर्ज है

..2

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 86/83 की कुल 10.4820हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 8 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है अर्थात सायलान एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के खेत एक दुसरे के चिपते हुए है।

सायलान का कथन है कि उसके खेत में जाने के लिये स्वीकृत रास्ता नही है सायलान एवं तरतीबी गैरसायलान गैरसायाल संख्या 1 ता 8 के किला न0 6 ,7 ,8 में से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करते है यही रास्ता उपयुक्त एवं सुविधाजनक है जिसे स्वीकृत करवाना चाहते है गैरसायलान संख्या 1 ता 8 का विरोध है कि सायलान ने कभी भी उक्त रास्ता का उपयोग नही किया है केवल गैरसायलान के टुकडे करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार सायलान का कथन उचित प्रतित होता है क्योकि सायलान ने गेरसायलान संख्या 1 ता 8 की भूमि के एक छोर से रास्ता चाहा है बीच में रास्ता की मांग नही की गई है जहॉ से सायलान ने रास्ता की मांग की गई है वह रास्ता मुख्य चालू स्वीकृत रास्ता से जुडता है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नजरीय नक्शा के अनुसार सायलान को अपने खेत में जाने के लिये भूपसिह आदि के खाता संख्या 84 के प0न0 320/382(43) किला न0 6 ,7 एव अप्रार्थी धर्मपाल की भूमि के खाता संख्या 133 के प0न0 320/382(43) किला न0 8 को काम में लेते आ रहे है तथा सायलान के सबसे नजदीकी कटानी रास्ता उक्त किला न0 6 में है सायलान को रास्ता दिया जाना अतिआवश्यक हे अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता सायलान को उपलब्ध नही है सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता ही उपयुक्त एव सुविधाजनक रहेगा।

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार सायलान के द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता सायलान की भूमि में जाने के लिये नही है सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे नजदीकी एव उपयुक्त सुविधाजनक है किसी भी काश्तकार को उसकी भूमि काश्त करने के लिये रास्ता उपलब्ध करवाया जाना विधि सम्मत है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता उपयुक्त सुविधाजनक एव कटानी रास्ता से सबसे नजदीकी है तथा पूर्व में इसी रास्ता का उपयोग सायलान करते भी रहे है वर्तमान में बन्द है सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित है अर्थात सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों एवं मोका रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 13 केएनएन के प0न0 320/382 (43) के किला न0 6 ,7 की उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायलान गैरसायलान की भूमि के इसी मुरब्बा के किला न0 14 , 17 के चिपते हुए किला न0 13 ,18 में देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी आश्य का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/06/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested